न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 11/2016

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

श्री मदनलाल पुत्र रामप्रताप जातिजाट सा. 34 एलएलडब्ल्यु उमेवाला।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट बाबत डीजल के निस्तारण

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–:निर्णयः–

दिनांकः–25.01.2018

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के निर्देशानुसार जे0के0सेल्स कार्पोरेशन गोलूवाला द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच दिनांक 23.0.2012 को संयुक्त जांच दल के साथ की गयी। जांच के दौरान मिस्त्री मार्केट गोलूवाला में श्री मदनलाल की दुकान पर पहुंचे जहां दुकान के बाहर एक बड़े ड्रम में डीजल ड्रम से बाहर निकालने का हस्तचलित पाईप लगा हुआ था व बाहर ही 10 व 5 लीटर के कोनीकल एल्यूमिनियम के पम्प रखे हुए हैं जिन्हें डीजल बिक्री के समय उपयोग में लिया जाता है। दुकान पर मदन लाल दुकान मालिक नहीं मिला। उसके स्थान पर बतौर प्रतिनिधि बलराम पुत्र इन्द्राज सा. 33 एलएलडब्ल्यु गोलूवाला सिहागान कार्य कर रहा था व बताया कि मदन लाल की ये दुकान है व बाहर गया है। उपस्थित बलराम के साथ दुकान की जांच की गयी तो दुकान में दो ड्रमों में 200–200 लीटर डीजल भरा पाया व डीजल बिक्री की चार पर्चियां भी मिली जिनका विवरण फर्द मौका में अंकित है। दुकान के बाहर एक ड्रम में 5 लीटर डीजल पाया व शेष बिक्री किया जा चुका था। उपस्थित से डीजल बिक्री के व्यवसाय का अनुज्ञापत्र मांगा गया तो वह नहीं होना बताया। बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये अवैध रूप से डीजल का भण्डारण व बिक्री करना पाया जाने पर वजह सबूत मौके से 405 लीटर मय तीन प्लास्टिक के ड्रम , एल्यूमिनियमके के कोनीकल माप 10 व 5 लीटर के 1–1, ड्रम से डीजल निकालने का हस्तचलित पाईप व चार डीजल बिक्री की पर्चियां जब्त की गयी व सुपुर्दगी तैयार की गयी। जब्त किये डीजल व सामान को सुरक्षित रखने हेतु सुनील कुमार पुत्र शिशपाल स्वामी सा. गोलूवाला निवादान पेशा उचित मूल्य दुकान अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति गोलूवाला की सुपुर्दगी में दिये गये। मदन लाल द्वारा बिना अनुज्ञापत्र एवं अवैध रूप से डीजल व्यवसाय कर राज0 पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लाज 3 का उल्लंघन किया है। जब्त शुद्धा वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

उक्त प्रकरण प्रथमतः श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 06.11.2012 को पेश हुआ जिसमें दिनांक 06.11.12 को जब्त शुद्धा डीजल व अन्य वस्तओं का नियमानुसार निस्तारण करने व राशि राजकोष में जमा कराने हेतु जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेशित किया गया । जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने पत्रांक 5143 दिनांक 30.04.13 से सूचना प्रेषित की गयी कि जब्त शुद्धा डीजल का निस्तारण कर जरिये चालान नं. 492 दिनांक 08.4.2013 से राशि 20263/– राजकोष में जमा करा दी गयी है। तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामील उसके पिता पर होने के उपरान्त भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.01.18 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

राजकीय अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी का यह कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जब्त शुद्धा डीजल व अन्य उपकरणों की राशि जो पूर्व से जिला रसद अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी है उसे राजसात करने के आदेश दिये जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का न्यायालय में उपस्थित नहीं आना इस तत्य को दर्शाता है कि उसके द्वारा किये गये अवैध डीजल बिक्री की गयी है। जिसका उसके पास जब्ती के समय कोई अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया । जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार बिना लाईसेंस/परमिट के डीजल बेचने का कार्य नहीं किया जा सकता । इसलिए जब्त शुद्धा डीजल राजसात किया जाना उचित है।

अतः अप्रार्थी से जब्त शुद्धा 405 लीटर डीजल व जब्त शुद्धा ड्रम व केनी तथा बेचान के उपकरणों को अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जाता है। डीजल की राशि पूर्व से जमा हो चुकी है। ड्रम, केनी व बेचान के उपकरणों को जरिये नीलामी नीलाम करने व राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़